रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2019/कार्तिक 02, 1941
No. 337] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 02, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019

विषय: अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/12/2017-डीजीएडी दिनांक 24-05-2018 में संशोधन चीन जन. गण. में "हाई टिनसिटी पॉलिस्टर यार्न" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

संख्या 30/2/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद ''नियमावली'' कहा गया है) के संबंध में;

क. पृष्ठ भूमि

2. व्यापार उपचार महानिदेशालय ("प्राधिकारी") ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई टिनसिटी पॉलिस्टर यार्न ("संबद्ध सामान" अथवा "एचटीपीवाई") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की थी और दिनांक 24 मई, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डीजीएडी ("अंतिम जांच परिणाम") द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया था और दिनांक 09 जुलाई, 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।

3. कुछ विशेष उत्पादकों के लिए शुल्क तालिका में नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध की अनुमति देने हेतु दिनांक 7 जनवरी, 2019 की संशोधन अधिसूचना सं. 6/12/2017-डीजीएडी के अनुसार अंतिम जांच परिणाम में संशोधन

किए गए । दिनांक 12 फरवरी, 2019 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 10/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क अधिरोपण के प्रयोजन हेतु संशोधन को स्वीकार किया गया ।

ख. प्रक्रिया

4. उपरोक्तानुसार अधिसूचित शुल्क तालिका में निर्यातक के नाम को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध करते हुए दिनांक 17.09.2018 की व्यापार सूचना संख्या 12/2018 के अनुसार मैसर्स ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड एवं मै. ओरिएंटल टैक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि. (आवेदक) से एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ था।

5. प्राधिकारी ने अनुरोध की जांच की और अनुरोध की प्रकृति को नोट करते हुए उन संबद्ध पक्षकारों से विचार मांगने का निर्णय लिया जो इस परिणाम से सीधे ही प्रभावित हो सकते थे ताकि अनुरोध पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके और मध्यावधि समीक्षा करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सके। प्राधिकारी ने 16 अक्टूबर, 2019 को एक सुनवाई आयोजित की । प्रतिभागियों द्वारा किए गए अनुरोधों को नीचे रिकॉर्ड किया गया है और प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

ग. अनुरोध

आवेदकों के विचार – मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. और मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग्) लि.

6. संबद्ध पाटनरोधी जांच की जांच की अवधि के दौरान (01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017), मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग्स) लि. के जरिए भारत को निर्यातित की गईं।

7. मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. को उत्पादक और मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग्स) लि. को निर्यातक के रूप में सम्मिलित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला के लिए, कंपनियों के उचित सत्यापन के पश्चात अंतिम जांच परिणाम में शुल्क तालिका की क्रम सं. 5 पर शून्य पृथक दर की सिफारिश की गई । सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया और दिनांक 9 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 35/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) की शर्तों में शून्य शुल्क लागू/संग्रहित किए गए ।

8. मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग्स) लिमि. बरमूडा में स्थित है । दिसंबर, 2018 में बरमूडा सरकार ने एक नया कानून, इकानामिक सब्स्टेंस एक्ट, 2018 के नाम से, जारी किया जो 31 दिसंबर, 2018 को प्रचालन में आया । उक्त अधिनियम के अनुच्छेद -3 के अनुसार संस्थाओं द्वारा "बरमूडा में एक पर्याप्त आर्थिक उपस्थिति" को बनाए रखने के लिए वितरण (जैसे मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि.) सहित कुछ विशेष गतिविधियों को इस प्रकार जारी रखना जरूरी है कि संस्था बरमूडा में प्रबंधित और निर्देशित हो, केन्द्रीय रूप से आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां बरमूडा में अपनाई गई हो, संस्था पर्याप्त रूप से बरमूडा में प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति बनाए रखे और संगत गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त प्रचालन व्यय बरमूडा में उपगत किया गया हो ।

9. इकानामिक सब्स्टेंस एक्ट, 2018 के आरंभ होने के साथ, मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. ने बरमूडा में स्थित मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि. के जरिए बीजकन के बिना भारत को सीधे ही अपने निर्यात जारी रखने का निर्णय किया।

10. वर्णित विक्रय श्रृंखला में निर्यातक संस्था के नाम में परिवर्तन के अतिरिक्त, निर्यात से संबंधित अन्य सभी पहलू वही बने रहेंगे । इन पहलुओं में से कुछ इस प्रकार हैं :-

(क) मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि. से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. के लिए भी समान बने रहेंगे ।

(ख) आयातक की वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए सामान्य मूल्य अपरिवर्तित बना रहेगा ।

(ग) कारखानागत निर्यात कीमत, जिस पर संबद्ध वस्तुएं मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. द्वारा भारत को निर्यातित की जाएंगी, भारत को मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि. द्वारा निर्यातित वस्तुओं के समान कीमत होगी ।

11. मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. पहले ही शुल्क तालिका में एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। आवेदन में अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी ने हाल ही में समान जांच के संबंध में, उत्पादक का नाम निर्यातक कॉलम में भी शामिल करने के लिए समान नाम परिवर्तन अनुरोध की अनुमति दी थी। दिनांक 7 जनवरी, 2019 की संशोधन अधिसूचना सं. 6/12/2017-डी जी ए डी और झेजियांग गुक्सियानडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि., झेजियांग गुक्सियानडाओ पॉलिएस्टर डोप डाइड यार्न कं. लि. के मामले में संदर्भ दिया गया था।

12. तद्नुसार, आवेदकों ने शुल्क तालिका में निर्यातक का नाम "ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि." अर्थात उत्पादक के नाम में परिवर्तित करने का अनुरोध किया क्योंकि यह अभिप्रेरित है कि उत्पादक अग्रेषण करते हुए भारत को सीधे ही निर्यात करेगा।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

13. घरेलू उद्योग (मै. एस आर एफ लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज) का कहना है कि नाम परिवर्तन के लिए उन्हें कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग परिषद ने इंगित किया है कि नाम के परिवर्तन के लिए अनुरोध तर्कसंगत रूप से बरमूडा इकानामिक सब्स्टेंस एक्ट, 2018 के आरंभ होने के कारण नहीं बल्कि व्यापार मार्ग में परिवर्तन करने संबंधी कारोबार निर्णय से उत्पन्न हुआ है।

14. यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या ऐसा कारोबार निर्णय नाम परिवर्तन से संबंधित व्यापार नोटिस के सीमा क्षेत्र के भीतर आता है और जिसके अनुसरण में संबद्ध आवेदन दायर किया गया है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. आवेदकों, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किए गए उपलब्ध तथ्यों की जांच की गई है और निम्नलिखित निष्कर्ष किए जा रहे हैं।

16. आवेदक के अनुसार, निर्यातक के नाम में परिवर्तन की आवश्यकता बरमूडा, जहां निर्यातक स्थित हैं, में नए कानून के आरंभ होने से उत्पन्न हुई है। यह नोट किया गया है कि जहां संबद्ध वस्तुओं का निर्यात चीन जन. गण. से भारत को सीधे ही किया गया है, इसके लिए बीजकन निर्यातक अर्थात मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि. के जरिए किया जा रहा था। बरमूडा के कानून में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक ने मै. ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि. को शामिल किए बिना कारोबार को आगे बढ़ाने और सीधे ही बीजकन करने का निर्णय किया। संबद्ध वस्तु का उत्पादक वही बना रहेगा अर्थात मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. और यह निर्यातक भी बनना चाहता है।

17. प्राधिकारी ने अवलोकन किया है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर पूर्ण थे जब उन्हें जांच के समय दायर किया गया था। अंतिम जांच परिणाम की जांच इंगित करती है कि आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की मांग नहीं की थी और सामान्य मूल्य सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्मित किया गया था और यह अपरिवर्तित रहेगा। निर्यात कीमत मानक समायोजन के अनुसार निर्धारित की गई थी। घरेलू उद्योग ने सुनवाई के दौरान नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर आपत्ति नहीं की थी।

18. जांच आगे यह प्रकट करती है कि अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और कारोबार के आधारभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुरोध व्यापार नोटिस के सीमा क्षेत्र में आता है।

19. इसलिए प्राधिकारी दिनांक 24 मई, 2018 के अंतिम जांच परिणाम सं. 6/12/2017-डीजीएडी के पैरा सं. 128 में शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन की सिफारिश करते हैं :-

क. कॉलम 7 में क्र. सं. 5 पर, निर्यातक अर्थात "ओरिएंटल टेक्सटाइल्स (होल्डिंग) लि."का नाम **"ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि."** के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए।

20. तद्नुसार, प्राधिकारी दिनांक 09 जुलाई, 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) में परिवर्तन की सिफारिश करते हैं।

21. इस आदेश के कारण केंद्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi 24th October, 2019

Subject: Amendment to the Final Finding Notification No. 6/12/2017-DGAD dated 24-05-2018 in Anti-Dumping Investigation concerning imports of "High Tenacity Polyester Yarn" from China PR.

No. 30/2/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof;

A. BACKGROUND

2. The Directorate General of Trade Remedies ("Authority") had conducted an antidumping investigation concerning imports of High Tenacity Polyester Yarns ("subject goods" or "HTPY") originating in or exported from China PR ("subject country") and recommended imposition of definitive anti-dumping duties vide the final finding Notification No. 6/12/2017-DGAD dated 24th May 2018 ("Final Findings"). The recommendations were accepted by the Ministry of Finance and definitive duties were imposed vide Customs Notification No. 35/2018 – Customs (ADD) dated 9th July 2018 ("Customs Notification").

3. The Final Findings were amended vide Amendment Notification No. 6/12/2017-DGAD dated 7th January 2019 to allow request for change of name in the duty table for certain producers. The amendment was adopted, for the purposes of duty imposition, by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 10/2019-Customs (ADD) dated 12th February 2019.

B. PROCEDURE

4. A written request was received from M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. and M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd. (the Applicants) in accordance with the Trade Notice No. 12/2018 dated 17.9.2018 requesting for change of name of the exporter in the duty table notified as above.

5. The Authority examined the request and noting the nature of the request decided to seek views from the interested parties, who could be directly affected by the outcome, so that the request could be considered appropriately and need of undertaking a Mid Term Review could be evaluated. The Authority held the hearing on 16th October 2019. The submissions made by the participants are recorded below and have been considered by the Authority.

C. SUBMISSIONS

Views of the Applicants – M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. and M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd.

6. During the POI (1st April 2016 to 31st March 2017) of the subject anti-dumping investigation, subject goods produced by M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. were exported to India through M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd.

7. For the supply chain consisting of M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. as the producer and M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd. as the exporter, an individual rate of NIL was recommended at Serial No. 5 of the Duty table in the

Final Findings after due verification of the companies. The recommendations were accepted by Ministry of Finance and NIL duties were imposed / collected in terms of Notification No. 35/2018-Custom (ADD) dated 9th July 2018.

8. M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd., the exporter is located in Bermuda. In December 2018, the Bermuda Government issued a new law, named the Economic Substance Act 2018 which came into operation on 31 December 2018. Article 3 of the said Act requires entities carrying out certain activities including distribution (like M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd.) to maintain "a substantial economic presence in Bermuda" such that the entity is managed and directed in Bermuda, core income generating activities are undertaken in Bermuda, the entity maintains adequate physical presence in Bermuda and there is adequate operating expenditure incurred in Bermuda with respect to the relevant activity.

9. With the introduction of the Economic Substance Act, 2018, M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. decided to carry on its export to India directly without invoicing through M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd., located in Bermuda.

10. Apart from a change in name of the exporting entity in the described sales chain, all other aspects pertaining to the export would continue to remain the same. Some of these aspects are:

    a. the importer(s) of the subject goods in India from M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd. will remain the same for M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd.

    b. There is no change in the status of the producer, thus normal value remains unchanged.

    c. The ex-factory export price at which the subject goods will be exported by M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. to India will be priced similarly as the goods exported by M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd. to India.

11. M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. is already a named producer in the duty table. It was submitted in the Application that the Authority has, recently with respect to the same investigation, allowed a similar name change request for placing the producer's name in the exporter column as well. Reference was made to the Amendment Notification No. 6/12/2017-DGAD dated 7th January 2019 and the case of Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd. and Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Ltd.

12. Accordingly, the applicants requested the change of name of exporter to "Oriental Industries (Suzhou) Ltd" in the duty table, i.e., the name of the producer, as it is intended that the producer will be exporting to India directly, going forward.

Views of the Domestic Industry

13. The Domestic Industry (M/s. SRF Limited and M/s. Reliance Industries) stated that they have no specific objection with the request for name change. However, the counsel of the Domestic Industry pointed out that the request for change of name is legitimately arising out of a business decision to change the trade route, rather than introduction of the Bermuda Economic Substance Act, 2018.

14. It was requested that the Authority may determine whether such business decisions fall within the purview of the trade notice pertaining to name change and pursuant to which the subject application has been filed.

D. <u>EXAMINATION BY THE AUTHORITY</u>

15. The issues and submissions made by the applicants, domestic industry and available facts as recorded in the final finding, have been examined and following observations are being made.

16. As per the Applicant, the need for change in name of the exporter has emerged from introduction of new law in Bermuda, where the exporter is located. It is noted that while the export of the subject goods happens directly from China PR to India, the invoicing for the same was being done through the exporter, i.e., M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd. Keeping in mind the change in Bermuda's law, the producer of the subject goods has decided to carry on business and invoicing directly, without involvement of M/s. Oriental Textile (Holding) Ltd. The producer of the subject goods continues to be the same, i.e., M/s. Oriental Industries (Suzhou) Ltd. and it wants to be the exporter also.

17. The Authority observes that the questionnaire responses filed by the applicants were complete when filed at the time of investigation. The examination of the final finding indicates that this applicant did not seek market

economy status and normal value was constructed on the basis of best available information and will remain unchanged. The export price was determined as per the standard adjustments. The domestic industry did not object to the request for change in the name during the hearing.

18. The examination further revealed that the request falls within the category of name change only and there is no change in the basic nature of the business. The request is covered within the scope of the trade notice.

19. The Authority, therefore, recommends following change in the duty table in para no. 128 of the final finding 6/12/2017-DGAD dated 24th May, 2018:

    a. At S. No. 5 in column 7, the name of the exporter viz. "Oriental Textile (Holding) Ltd" be amended to read as"**Oriental Industries (Suzhou) Ltd".**

20. Accordingly, the Authority recommends the change in the Custom Notification No. 35/2018- Customs (ADD) dated 9th July, 2018.

21. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this order shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.25 17:41:24 +05'30'